माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राजकीय स्कूलों में कक्षा–10 और कक्षा–12 के 159015 छात्र– छात्राओं को निःशुल्क प्री–लोडेड मोबाइल टैबलेट प्रदान किया जाना। (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 378/2021) एवं सरकारी डिग्री कॉलेज के 105000 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क प्री–लोडेड मोबाईल टैबलेट प्रदान किया जाना (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 423/2021) का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम, सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एम0एम0 सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री बंशीधर तिवारी, महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. डा0 विनोद कुमार, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मो0 गुलफाम अहमद, वित्त नियन्त्रक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री अरूण कुमार त्यागी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों के कक्षा–10 एवं 12 के छात्र–छात्राओं एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा डिग्री कॉलेज के छात्र–छात्राओं को डिजिटल इण्डिया के उद्देश्य की पूर्ति एवं इण्टरनेट के प्रयोग से भिज्ञ किये जाने हेतु प्री–लोडेट शिक्षण सामग्री सहित मोबाइल टैबलेट निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की योजना का प्रस्ताव दिया गया है। इस योजना से कोरोना काल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आनलाइन माध्यमों से ही अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा जाना सम्भव हो सकेगा तथा प्रदेश के छात्र–छात्राओं एवं युवाओं को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में ऑनलाइन आवेदन करने, कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकने का प्रस्ताव किया गया है।

   इस योजना के अंतर्गत कक्षा–10 के 86985 एवं कक्षा–12 के 72030 इस प्रकार कुल 159015 छात्र–छात्राओं एवं डिग्री कॉलेज के 105000 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट दिये जाने का प्रस्ताव है।

   प्र0वि0 द्वारा इस योजना के कियान्वयन से मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या–378/2021 एवं 423/2021 की पूर्ति भी कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

   इस योजना की पूर्ति हेतु प्र0वि0 द्वारा रू0 14500/– प्रति टैबलेट की दर से 264015 टैबलेट को कय करने हेतु रू0 382.82 करोड का आगणन तैयार किया गया है।

2. **योजना प्राविधान** :– योजना के अंतर्गत कय की जाने वाली सामग्री की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 की बैठक में किया गया है। समिति द्वारा कय किये जाने वाले टैबलेट की तकनीकी विशिष्टियां निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–

क्रमशः पृष्ठ–2/–

क– 08 इन्च व उससे अधिक साइज के टैबलेट्स की तकनीकी विशिष्टियां–

Description	Specification	Requirement
1	2	3
Display	Display size	8 Inches or more
	Display Resolution(Pixels)	1280X800 or Better
	Brightness	350 or more
Operating system	Operating system Details	Android 10.0 or Higher or IOS 12 or Higher
Connectivity	Connectivity Type	WIFI+Cellular
	Cellular Data Support	4G/LTE,VolTE or higher
	GPS	YES
	AGPS	YES
	Number of GSM SIM Available	1 or more
	Cellular Voice Calling	YES
Processor	Processor Speed (Min-GHz	2.0 or Higher
	Processor core (Number)	8 or More
	Processor Make	Any
Memory& Storage	Ram Size (GB)	3 GB or More
	Internal Storage Capacity (GB)	3 2 GB or More
	Internal Storage Expandability	Internal Storage Upgradable through Micro-SD up to 256 GB or higher
Camera	Rear Front	8 MP or better 2 MPor better
General	Battery Capacity (Minimum) maH	5001-6000 or better
Additional (OEM/Third Party)	OTG Support Docking Station Compatible Carry Case Compatible Smart cover Compatable Active stylus Ear Phone	Yes Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes
MDM	Availability of Mobile Device Management (MDM) Support Mobile Device Management Hosting(MDM) Device Enrolment Program (DEP) License-Perpetual and Support for 1 Year	Yes Cloud or In Premise Yes
Warranty	OEM Warrenty for Tablet OEM Warrenty for Battery	2 Year or more 2 Year or more
Certificate	BIS CE/UL,FCC,ROHS	Yes Yes
Standard Accessories	Charger Audio Jack Speaker	Charger& Charging Cable Yes, 3.5 mm or Campatible Yes (Inbuilt)

क्रमशः पृष्ठ–3/–

ख– 10 इन्च व उससे अधिक साइज के टैबलेट्स की तकनीकी विशिष्टियां

Description	Specification	Requirement
1	2	3
Display	Display size Display Resolution(Pixels)	10 Inches or more 1920X1080 or Better
	Brightness	350 or more
Operating system	Operating system Details	Android 10.0 or Higher or IOS 12 or Higher
Connectivity	Connectivity Type	WIFI+Cellular
	Cellular Data Support	4G/LTE,VolTE or higher
	GPS	YES
	AGPS Number of GSM SIM Available Cellular Voice Calling	YES YES 1 or more Yes
Processor	Processor Speed (Min-GHz	2.0 or Higher
	Processor core (Number)	8 or More
	Processor Make	Any
Memory& Storage	RAM Size (GB) Internal Storage Capacity (GB) Internal Storage Expandability	3 GB or More 3 2 GB or More Internal Storage Upgradation through Micro-SD up to 256 GB or higher
Camera	Rear Front	8 MP or better 2 MPor better
General	Battery Capacity (Minimum) maH	5001-6000 or better
Additional (OEM/Third Party)	OTG Support Docking Station Compatible Carry Case Compatible Smart cover Compatible Active Stylus Ear Phone	Yes Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes
MDM	Availability of Mobile Device Management (MDM) Support Mobile Device Management Hosting(MDM) Device Enrolment Program (DEP) License-Perpetual and Support for 1 Year	Yes Cloud or In Premise Yes
Warranty	OEM Warrenty for Tablet OEM Warrenty for Battery	2 Year or more 2 Year or more

Gaut

क्रमशः पृष्ठ–4/–

Certificate	BIS CE/UL,FCC,ROHS	Yes Yes
Standard Accessories	Charger Audio Jack Speaker	Charger& Charging Cable Yes, 3.5 mm or Campatible Yes (Inbuilt)

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

3.1 इस योजना में लाभार्थियों के चयन हेतु संबंधित राजकीय विद्यालय/डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्राचार्य को अधिकृत किये जाने तथा लाभार्थी द्वारा किसी अन्य योजना के अंतर्गत टैबलेट प्राप्त न किये जाने आदि के सत्यापन की व्यवस्था भी विभागाध्यक्ष एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यो/ प्राचार्यो के स्तर पर किये जाने का प्रस्ताव है।

3.2 इस योजना के अंतर्गत सामग्री को कय करने तथा मानटिरिंग करने हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1177 दिनांक 6–10–2021 के द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित –2017 व अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।

3.3 प्र0वि0 द्वारा कय किये जाने वाले टेबलेट्स में प्री–लोडेड सामग्री हेतु डिजिटल कन्टेंटस तैयार किया जायेगा जिसे समय–2 पर अनवरत रूप से अपडेट करने की व्यवस्था रखी गई है।

3.4 प्र0 वि0 द्वारा प्रस्तावित योजना के कार्यो को कराये जाने के लिए कोविड के बजट से वहन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3.5 प्र0वि0 द्वारा मोबाइल टैवलेट की प्रस्तावित दरों के निर्धारण हेतु विभागीय स्तर पर किये गये बाजार सर्वेक्षण के आधार पर रू0 10,400/– (Acer make) एवं रू0 13,700/–(Samsung make) आंकलित की गयी है। इसके अतिरिक्त जैम पोर्टल से भी निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप विभिन्न मेक के टैबलेट की दरें प्राप्त की गयी है। इस प्रकार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर से अनुमानित बजट प्रति इकाई दर रू0 14,500/– आगणित किया गया है।

3.6 सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं, राजकीय महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को प्री–लोडेड कन्टेंट सहित मोबाइल टेबलेट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1172 दिनांक 14–10–2021 के द्वारा विस्तृत गाइड लाइन /निर्देश जारी किये गये हैं जिनके अनुसार ही इस योजना का कियान्वयन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

3.7 प्र0वि0 द्वारा सामग्री कय हेतु आर0एफ0पी0 एवं पी0क्यू0 तैयार किये गये हैं जिस पर शासन स्तर पर गठित प्रोक्योरमेंट असिस्टेंस मानीटरिंग कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त सहमति प्रदान की गई है एवं मा0 मंत्रिमंडल से भी अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

3.8 प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की गयी। प्री–बिड मीटिंग में कतिपय फर्मों द्वारा टैबलेट की निर्धारित विशिष्टियों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्राप्त Pre bid queries के अनुसार प्राप्त सुझावों के सम्बन्ध में दिनांक 27.10.2021 को प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी

क्रमशः पृष्ठ–5/–

विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तावित टैबलेट क्रय प्रक्रिया में MieTY Specification के अनुसार किये जाने हेतु प्र0वि0 द्वारा निर्णय लिये जाने का सुझाव दिया गया। जिस पर मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3.9 सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा शासनादेश सं0 1262 दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से टैबलेट क्रय प्रक्रिया हेतु पूर्व निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों को संशोधित करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये हैं।

3.10 सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित विभागीय व्यय समिति की दिनांक 25.11.2021 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तावित कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3.11 प्र0वि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय व्यय समिति के कार्यवृत्त में उल्लेखित है कि प्रश्नगत कार्यों हेतु ई–निविदा आमन्त्रित की गयी है, जिसमें प्राप्त न्यूनतम् दरों पर न्यूनतम दरदाता फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्मों से भी न्यूनतम् दरों पर कार्य कराये जाने का अवसर दियाा जायेगा, ताकि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समयान्तर्गत (कार्यादेश के 75 दिन में) पूर्ण कराया जा सके।

3.12 **प्र0वि0 द्वारा बैठक से पहले ही आमन्त्रित ई–निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों पर टैबलेट क्रय करने तथा बजट स्रोत एवं बजट का निर्धारण शासन स्तर से कराये जाने का व्यय वित्त समिति से अनुरोध किया गया है।**

4. **<u>व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–</u>**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव **में अंकित लागत प्रति इकाई रू0 14,500 की दर के अनुसार राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 382.82 करोड** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया:–

4.1 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4.2 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Specifications को विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

4.3 आगणन में नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

4.4 प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 8'' के साइज के टैबलेट हेतु निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराया जाय।

4.5 योजना के कार्यो की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण एवं मूल्यांकन का कार्य राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग द्वारा कराया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–6/–

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 4.1–4.5 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रस्तावित कार्यो के सम्पादन हेतु निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये :–

1. **शासनादेश संख्या–474 दिनांक 01 अगस्त, 2019 के अनुसार रू0 5.00 करोड अथवा अधिक लागत की प्रत्येक योजना/प्रस्तावों का परीक्षण बजट में सम्मलित करने से पूर्व व्यय वित्त समिति द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। इसलिये व्यय वित्त समिति द्वारा प्र0वि0 को योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर से आंकलित अनुमानित बजट प्रति इकाई दर रू0 14,500/– पर उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली संशोधित–2017 के प्राविधानों के अधीन कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी।**
2. **चूकि प्रशासकीय विभाग द्वारा इस योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिना व्यय वित्त समिति से योजना का परीक्षण/अनुमोदन कराये ई–निविदा प्रक्रिया शुरू कर टैबलेट की दरें प्राप्त कर ली गयी है इसलिये प्र0वि0 को यह परामर्श दिया जाता है कि ई–निविदा में प्राप्त दरों पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।**
3. **प्रस्तावित कार्यो हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।**

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डा0 बी0बी0आर0सी0 पुरूषोतम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 1523/788/माध्यमिक शिक्षा/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 06 दिसम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद पन्त)
तकनीकी विशेषज्ञ